

7

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतराज एवं ग्रामीण अन्वितरण सेवा अनुभाग-1

संख्या: 496 / XII / 09 / 92(01) / 2009

देहरादून: दिनांक: 06 अगस्त, 2009

विज्ञप्ति

नियुक्ति

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित सेवा परीक्षा, 2004 के आधार पर चयनित/सस्तुत श्री सुरेश प्रकाश बना का जिला पंचायतराज आधकारी, टिहरी के पद पर बतनमान-15600-39100, ग्रेड-वेतनमान-5400 ( पूर्व वेतनमान रू0-8000-13500) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करत है:-

- 2- उक्त नियुक्ति दो वर्ष की परिवाक्षा काल के रूप में की जाती है।
- 3- इन्हें नियुक्ति के स्थान पर योगदान करन हेतु कोई यात्रा मन्ता देय नहीं होगा।
- 4- जिला पंचायतराज आधिकारी नियमावली एवं कामकाज नात द्वारा प्रसारित सामान्य नियमावली अन्तर्गत स्थाईकरण एवं पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगा।
- 5- यह नियुक्ति रिट याचिका संख्या-292/(एस/बी) ऑफ 2008 प्रताप सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य रिट याचिका संख्या-307/(एस/बी) ऑफ 2008 दिग्विजय सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-07/(एस/बी) वर्ष 2009, नीलम राणा बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होंगे।
- 6- श्री बैना एक माह के अंदर अपनी योगदान सूचना जिलाधिकारी, टिहरी को प्रस्तुत करेंगे तथा योगदान के समय निम्न सूचनायें/प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी, टिहरी द्वारा किया जायेगा तथा सूचनायें/प्रमाण-पत्रों के संबंध में पूर्णरूप से सन्तुष्ट होने पर योगदान सूचना स्वीकार करेंगे।

Grand file  
 Leno  
 20/08/09  
 165  
 18/8/09

- (1)-केंद्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवा के संबंध में घोषणा।
- (2)-अपने कर्जदार न होने की घोषणा।
- (3)-एक से अधिक पत्नी न होने की घोषणा।
- (4)-समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति के संबंध में घोषणा जिसके वे स्वामी हो।
- (5)-अपने निजी विवरण।
- (6)-राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीन प्रमाण-पत्र।
- (7)-राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभि-प्रमाणित पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ।
- (8)-इण्डियन सिक्रेटस एक्ट-1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने के संबंध में घोषणा।
- (9)-शैक्षिक योग्यता से संबंधित अक पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की अभि-प्रमाणित प्रति जिसका सत्यापन योगदान के समय मूल अभिलेखों से कराया जाय।

①

- (1)-अनुसूचित जात का प्रमाण-पत्र उपाजलगाधकारों से अच्युत स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया हो की सत्यापित मूल अभिलेख से कराया जाय।  
(2)-स्थाई विकास प्रमाण-पत्र।

आज्ञा प्रपत्र  
सचिव

संख्या: 4057 XII / 09 / 92(01) / 2009 तददिनांक ।

- गतिविधि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
नहालखाकार आबराहम भवन माजरा राड वहरादून  
निदेशक पंचायताराज उत्तराखण्ड वहरादून ।  
3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल ।  
4- जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ।  
5- मुख्य विकास अधिकारी टिहरी ।  
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल  
7- सचिव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार को कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड के पत्र  
संख्या-294 / XXX(2) / 2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के क्रम में सूचनाथ ।  
8- संयुक्त सचिव कार्मिक अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन को अपन पत्र  
संख्या-294 / XXX(2) / 2009 दिनांक 16 मार्च 2009 के क्रम में सूचनाथ ।  
9- श्री सुरेश प्रकाश बैनी ग्राम-फडियाली, क्षेत्र-गणाई, पारस्ट--सालिया, तहसाल--मंगलाहाट,  
जिला--पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड ।  
10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा स  
(आर०पी०पुलारिया)  
संयुक्त सचिव